

आदेश व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 138/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

महिन्द्रा रुरल हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, दीपक प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर 7 ए/2, संजय नगर-ए, मैक्स हॉस्पिटल के सामने, मेन कालवाड रोड, जोशी मार्ग के पास, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती रेखा पत्नी श्री चंदन सिंह,  
(1) निवासी-प्लॉट नम्बर बी-56, श्री गणेश एनक्लेव, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर, राजस्थान।  
(2) निवासी-सोनगांव, बदनगढ़, डीग, भरतपुर।
2. चंदन सिंह पुत्र श्री सुघड़ सिंह,  
(1) निवासी-प्लॉट नम्बर बी-56-ए, श्री गणेश एनक्लेव, जयसिंहपुरा खोर शेखावतान, जयपुर।
3. राकेश कुमार जांगिड़ पुत्र श्री मन्ना लाल जांगिड़,  
(1) निवासी-वार्ड नम्बर 46, खातियों का मोहल्ला, प्रतापपुरा, जोवनेर, जयपुर, फुलेरा।



अप्रार्थीगण

ऋणी एवं सहऋणी

The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित:-श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 21.04.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.05.2018 को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी श्रीमती रेखा पत्नी श्री चंदन सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नम्बर बी-56-ए, श्री गणेश एनक्लेव, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 50 वर्गगज को बन्धक रख कर 6,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13/08/2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18, दिसम्बर 2015 क्रम संख्या 17 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 6,50,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल 5,24,328/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.08.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती रेखा पत्नी श्री चंदन सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नम्बर वी-56-ए, श्री गणेश एनक्लेव, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 50 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आज्ञा दिनांक 21.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



*(राजन विशाल)*  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलेक्टर) जयपुर